



जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के अन्तर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा-2020

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 27/07/2020	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 10/08/2020
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 27/07/2020	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 15/08/2020
परीक्षा दिनांक व दिन	3-10 नवम्बर 2020
परीक्षा शुल्क	
सीधी भर्ती /संविदा पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये रु. 500/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये) रु. 250/-
	सीधी भर्ती - बैकलॉग कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रु. देय होगा ।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
3-10 नवम्बर 2020	प्रथम	प्रातः 7:00 से 8:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक	01:50 से 02:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 02:00 से 05:00 बजे तक (3:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर /आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं ।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है ।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है

9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाता है । अतः कम्प्यूटर आधारित online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) (पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी ।
11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
12. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी ।)

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

E-Mail-complain[dot]peb[at]mp[dot]gov[dot]in वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in

जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के अन्तर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा-2020

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के अन्तर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा-2020	4-16
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	17-32
3	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	33
4.	प्रारूप-1	प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	34
5	प्रारूप-2	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	35
6	प्रारूप-3	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	36

अध्याय – 01

मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2020 विभागीय नियम

1.1 सामान्य :-

मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी के रिक्त कुल- 282 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2020 के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे। पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

1.2 परिभाषाएँ :-

- (अ) निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।
- (ब) “विभाग” से अभिप्रेत है - मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग।
- (स) प्रथम चरण से अभिप्रेत है - मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा
- (द) “द्वितीय चरण” से अभिप्रेत है - जेल विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता टेस्ट।
- (ई) बोर्ड से तात्पर्य मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल से है।
- (फ) “म.प्र.” से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है।

1.3 पदनाम, वेतमान तथा शैक्षणिक योग्यता :-

सीधी भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण

1.3.1 पद नाम प्रहरी (कार्यपालिक) (वेतनमान 5200- 20200+1900 ग्रेड पे) सातवां वेतनमान रूपये 19500-62000 (लेबल-4 (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासनविभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टाइपेंड देय)

1.3.2 आरक्षण तालिका:-

भरे जाने वाले उपयुक्त पदों की संख्या का विवरण :- म.प्र. शासन, सा.प्र.वि. के जापन क्रमांक एफ 07/53/2019आ.क्र./एम दिनांक 04 जनवरी 2020

(A) सीधी भर्ती जेल प्रहरी (कार्यपालिक)

श्रेणी	कुल रिक्त	बिना वर्ग		होम गार्ड		भूतपूर्व सैनिकों		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
अनाक्षित	73	33	14	11	05	07	03	73
ई.डब्ल्यू.एस.	11	08	03	00	00	00	00	11
अ.जा.	36	18	07	05	02	03	01	36
अ.ज.जा.	45	21	10	06	02	04	02	45
अ.पि.व.	61	30	12	08	03	06	02	61
कुल योग :-	226	110	46	30	12	20	08	226

(B) सीधी भर्ती- जेल प्रहरी (कार्यपालिक) (संविदा कमर्चारी के लिये 20 प्रतिशत आरक्षित)

श्रेणी	कुल	बिना वर्ग		होम गार्ड		भूतपूर्व सैनिकों		योग
	रिक्त	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
अनाक्षित	21	15	06	00	00	00	00	21
ई.डब्ल्यू.एस.	00	00	00	00	00	00	00	00
अ.जा.	09	06	03	00	00	00	00	09
अ.ज.जा.	11	08	03	00	00	00	00	11
अ.पि.व.	15	10	05	00	00	00	00	15
कुल योग :-	56	39	17	00	00	00	00	56

टीप:- प्रहरी पदों के लिए शारीरिक मापदण्ड संबंधी अर्हता निर्धारित है । अतः किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है ।

1.3.3 न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :-

आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणालीसे हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

1.3.4 शारीरिक मापदण्ड :-

मापदण्ड	ऊंचाई	सीना बिना फुलाए
पुरुष अभ्यर्थी के लिए	165 से.मी.	83 से.मी.
महिला अभ्यर्थी के लिए	158 से.मी.	-

1. आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए और उसके जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए ।
2. अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए ।
3. अभ्यर्थी में "नाकनी/फ्लेट फुट" एवं कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए तथा चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य (मैडिकली फिट) होना आवश्यक है।

- नोट:-
- 1- न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
 - 2- प्रहरी पद हेतु नियम में अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, के कारण निःशक्तिजन हेतु आरक्षण निर्धारित नहीं रहेगा ।

टिप्पणी :-

- (i) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक पी दिनांक/3/1/2013/04-3-यंसेवी नगर सैनिकों को शासकीय सेवाओं में दिए गए आरक्षण द्वारा होमगार्ड स्व 06.03.2013 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। इस लाभ के 15 अनुसार जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती के पदों में यंसेवीस्व लिए नगर सैनिक की आवेदन करने की अंतिम तिथि को इस पद पर उनकी वर्ष की 03 सक्रिय सेवा पूर्ण होनी चाहिए। अनुशासनहीनता, दुराचरण, अस्वस्थता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किए गए नगर सैनिकों को प्रहरी संवर्ग के अंतर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्तीकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

(2) **क्षैतिज आरक्षण -**

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्र 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा ।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्याजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधीभर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है :-

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	1.5 प्रतिशत
2.	बहरे और कम सुनने वाले,	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

टीप:- प्रहरी प्रदों के लिए शारीरिक मापदण्ड संबंधी अर्हता निर्धारित है । अतः किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं है ।

- (ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमशः तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।
- (3) सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार राज्य/जिलास्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्वशिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिश निर्देश जारी किए जाते हैं, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदापर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-
- 3.3.1 प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशतपद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी ।
- 3.3.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-
- 3.3.3 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो । 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए । इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा । यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।
- 3.3.4 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वॉछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो ।
- 3.3.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए । अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदापर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था ।
- 3.3.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदापर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधिकी गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी ।
- 3.3.7 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाएं ।

- 3.3.8 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा ।
- 3.3.9 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा । इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे ।
- 3.3.10 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है । इसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जिने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी । यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

नोट:- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी. 3-14/2019/एक/3/भोपाल/ दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा उपरोक्त प्रहरी पदों हेतु मान्य की जावेगी। अतः प्रहरी पद के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 33 वर्ष । महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष / महिला आवेदक (अनु.जा./अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) के लिए न्यूनतम 18 अधिकतम 38 वर्ष लागू होगी / यह आयु सीमा संविदा कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

- 3.3.11 नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा ।
- 3.3.12 विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे । यहाँ आवश्यक हो वहाँ भर्तीमें प्रतिबंध से आवश्यक छूट भी प्राप्त की जावेगी । किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियोंके संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से पदतत् की जा रही हो तो यह यथावत् रख सकेगा ।

(4) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई. डब्लू.एस.) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

(5) (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। बोर्ड द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी।

(ग) प्रहरी भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा ।

1.5 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में ।

I. पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार :-

(क) भारत का नागरिक हो ।

(ख) नेपाल का नागरिक हो सकता है ।

(ग) यदि (ख) हो तो म. प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।

नोट -किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्याधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म. प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया गया हो ।

II. ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।

1.6 आयु सीमामें श्रेणीवार छूट विवरण (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल, के परिपत्र क्रमांक सी-3-14/2019/एक3/दिनांक 19 दिसम्बर 2019)

स.क्र.	आवेदक	श्रेणी	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
01	पुरुष	सामान्य /अनारक्षित	18 वर्ष	33 वर्ष
02	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष/महिला आवेदक (अनु.जा/अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्थाके कर्मचारीतथा नगर सैनिक)		18 वर्ष	33+5=वर्ष 38

नोट:- अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की, 01 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

1.6.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट :-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पूराना नाम आदिम जाति, हरिजन) एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्र. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्र. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1.6.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

(क) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की

अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो A

स्पष्टीकरण :- शब्द “छटनी” किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(ख) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
 - (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
 - (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के जापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर रा"ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- टीप :** (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
- (2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 38 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1.7 आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण :-

- (अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा ।
- (ब) मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी को शान द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा ।
- (स) होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक को आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए, नगर सेना की 03 वर्ष की सेवाका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- (द) महिला होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए होरीजेन्टल आरक्षण है योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिए आरक्षित पद कैरिफावर्ड नहीं होगा । ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे ।

- (इ) संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को संविदा सेवा के संबंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- (फ) ई.डब्ल्यू.एस. के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

1.8 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हताएँ /जानकारी :

1. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा में अयोग्य घोषित किए जाएंगे।
2. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह माना जायेगा परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह नहीं माना जावेगा।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसे न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण हेतु दंडित किया गया हो तथा अपराध नैतिक अघोपतन (**Moral turpitude**) की श्रेणी का हो, अनर्ह होगा।
4. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ आवेदक को अयोग्य माना जायेगा।
5. फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जाएगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।

1.9 परीक्षा की योजना :-

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाईन आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी संबंधी आवश्यक निर्देश अध्याय-2 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार लिखित परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

1.9.1 प्रथम चरण - लिखित परीक्षा :-

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों 100 अंकों (प्रत्येक प्रश्न 01 अंक) व दो घंटे की अवधि का केवल 01 प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाईस्कूल स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे।

1.9.2 प्रहरी पद हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची :-

मंडल द्वारा लिखित परीक्षा के परीक्षा परिणाम की प्रवीणता के आधार पर दस गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर क्रम में सूची, आरक्षण संबंधी समस्त नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रेणीवार तैयार कर जेल मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम की जानकारी मंडल द्वारा वेबसाइट पर व समाचार पत्रों में तथा जेल मुख्यालय द्वारा व्यक्तिगत सूचना-पत्र जारी कर द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अवगत कराया जाएगा। परन्तु अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व किसी भी स्थिति में द्वितीय चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की जानकारी

अभ्यर्थियों, जेल मुख्यालय अथवा चयन प्रक्रिया से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी।

प्रथम चरण की परीक्षा में प्रवीणता के आधार पर दस गुना अभ्यर्थियों की रोल नंबर के क्रम में द्वितीय चरण की परीक्षाओं शारीरिक नापजोख व प्रवीणता टेस्ट के लिये बुलाया जाएगा। श्रेणी अनुसार दस गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, भले ही कुल संख्या दस गुना से अधिक हो जावे। लिखित परीक्षा के पूर्व नाप जोख नहीं कराया जाएगा।

1.9.3 प्रहरी पद हेतु द्वितीय चरण - शारीरिक माप परीक्षण व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट :-

प्रथम चरण में सफल घोषित उम्मीदवारों को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये जेल विभाग द्वारा निश्चित स्थान, तिथि एवं समय की सूचना डाक अथवा अन्य माध्यम से दी जाएगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन शारीरिक माप परीक्षण व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही जेल मुख्यालय स्तर पर महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी विवाद की दशा में महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ का विनिश्चय मान्य होगा। निर्धारित बायोमेट्रिक सत्यापन न होने अथवा शारीरिक अर्हता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी।

1.9.4 प्रहरी पद हेतु शारीरिक प्रवीणता टेस्ट :

समिति द्वारा शारीरिक नापजोख में उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों का शारीरिक प्रवीणता टेस्ट निम्नानुसार लिया जाएगा :-

परीक्षा	प्रहरी (पुरुष)	प्रहरी (महिला)	भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड
800 मीटर दौड़	2 मिनट 50 सेकंड	4 मिनट 00 सेकंड	3 मिनट 15 सेकंड
गोलाफेक	20 फिट (गोले का वजन 7.260 किलोग्राम)	16 फिट (गोले का वजन 4.00 किलोग्राम)	15 फिट (गोले का वजन 7.260 किलोग्राम)

- यदि दौड़ में क्वालीफाई नहीं करता है, तो उसे गोलाफेक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।
- शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालीफाइंग स्वरूप की होगी। इसमें कोई पूर्णांक-प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा।
- शारीरिक नापजोख एवं प्रवीणता परीक्षा का विडियो रिकार्ड किया जाएगा। अपने नापजोख /प्रदर्शन/मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जाएगी, जो उसका विडियो कवरेज देखकर निराकरण करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
- शारीरिक प्रवीणता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी एवं न ही उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।

1.9.5 प्रहरी पद हेतु चयन सूची :-

जेल मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा द्वितीय चरण में शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट की कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत इसमें सफल उम्मीदवारों की सूची व्यापम को उपलब्ध कराई जाएगी। शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों की जेल मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के आधार पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीण्य/प्रतीक्षा सूची प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल जारी की जाएगी।

1.10 पारस्परिक वरीयता :-

अंतिम प्रवीण्य सूची तैयार करते समय समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की आयु के आधार पर आपसी सहवर्षिता निर्धारित की जाएगी अर्थात् आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

1.11 नियुक्ति :-

चयनित उम्मीदवारों के संबंध में चरित्र सत्यापन कराया जाएगा तथा केवल 'अनुकूल' चरित्र पाये जाने वाले, चयन सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के विषय में ही नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा। नियुक्ति के लिये पात्रता हेतु उम्मीदवार का 'मेडिकली फिट' होना भी अनिवार्य है।

उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन फार्म में पूरी एवं सही-सही जानकारी भरना चाहिए, कोई झूठी जानकारी, अधूरी जानकारी, अर्धसत्य जानकारी नहीं देना चाहिए। कोई जानकारी छिपाना भी नहीं चाहिए। विशेष कर चरित्र सत्यापन फार्म के कालम नम्बर 12 में सही सही जानकारी भरना आवश्यक है। अब मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन के संबंध में इस आशय का शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों में उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुये नहीं छिपाया है।

- (1) नियुक्ति के उपरान्त प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा एवं निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा ।
- (2) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने के लिये प्रयोजनार्थ की जाने वाली यात्रा का किराया तथा भत्ता नहीं दिया जाएगा । प्रशिक्षण संस्था में उपस्थित होने पर प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। केवल योग्य पाये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जाएगी, अयोग्य उम्मीदवारों को वापस भेज दिया जाएगा ।
- (3) म.प्र. शासन, जेल विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2011/604/2018/तीन/जेल दिनांक 25/09/2018 के अनुसार सेवा बांड (करारनामा) निष्पादित किया जाना होगा ।

1.14 प्रशिक्षण :-

प्रहरी के पद पर नियुक्ति उपरान्त निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने की सूचना चयनित उम्मीदवारों को पृथक से भेजी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए

बिना निश्चित समयावधि में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जाएगा।

1.13 विभाग द्वारा परीक्षण किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:-

जेल विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज (डाक्यूमेंट) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :-

- (1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट 10+2) की प्रमाणित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो।
- (2) शैक्षणिक व अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र (डिग्री या सर्टिफिकेट की फोटो प्रति)।
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र । प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिए। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ भी प्रकाशित किए जा रहे हैं।
- (4) होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए, नगर सेना की 03 वर्ष की सेवाकाल का प्रमाण पत्र।
- (5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र।
- (6) पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में होने का प्रमाण पत्र।
- (7) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिए)।
- (8) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण पत्र ।
- (9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई. डब्लू.एस. का प्रमाण पत्र ।

नोट- दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जाएगा। उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज विभाग के चाहने पर प्रस्तुत करना होगा।

1.14 यात्रा किराया :-

जेल मुख्यालय द्वारा आरक्षित श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक नापजोख व शारीरिक प्रवीणता टेस्ट अथवा साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता राशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जाएगी।

महानिदेशक
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ
मध्यप्रदेश, भोपाल

अध्याय- 2

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिह्नित कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
- 2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- (i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- (ii) काला बॉलप्व्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- (iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2.5 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी./ प-1/712/2020 भोपाल, दिनांक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जावेगी।

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी। किन्तु दृष्टिबाधित द्वियांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं पुतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी। सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित पी.ई.बी. कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि पी.ई.बी. स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/ प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकेन्ड्री होना चाहिए।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(iii) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा।

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाइट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईट पेन से) अंकित करना होगी।
- प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती हैं तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

- (iii) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नामोल्लाईजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नामोल्लाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{\bar{M}_i - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\bar{M}_i^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\bar{M}_i is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाइट देखें)

2.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 2.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम “की” (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) अनुचित साधन (Unfair means) / यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना ।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना ।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है ।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबन्ध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएम प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी।

2.12 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.13 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।

खण्ड-ब

2.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **प्रारूप-02** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.16 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **प्रारूप-02** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।

- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

2.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।
- (v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.18 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

- (iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्रासांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक /आधार V ID अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से
1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा ।
 2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।
- (vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

2.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **PEB** लिंक में परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/**Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।
- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंको के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.22 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.23

आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (iii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iv) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (v) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन

आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

- (viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

2.25 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा “हाँ” विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प “हाँ” का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।
- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

2.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.29 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

2.30 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

2.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID "complain.peb@mp.gov.in" पर भेज सकते हैं।

2.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
27/07/2020	10/08/2020	15	27/07/2020	15/08/2020	20

2.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	3-10 नवम्बर 2020	03 घंटे	प्रातः 09:00 से 12:00 तक	200
2	द्वितीय			दोपहर 02:00 से 05:00 तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

2.34 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/-	250/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	50/-

2.35 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र					
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. उज्जैन	6. नीमच
7. रतलाम	8. मंदसौर	9. सागर	10. सतना	11. खंडवा	12. गुना
13. दमोह	14. सीधी	15. छिंदवाड़ा	16. बालाघाट		

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.36

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2:00 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं । अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा ।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।
- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात् भी किया जा सकेगा ।
- (xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी । ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।
- (xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय – 03
पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

100 कुल अंक

भाग 1 -	सामान्य ज्ञान	अंक 100
भाग 2 -	सामान्य हिन्दी	
भाग 3 -	सामान्य अंग्रेजी	
भाग 4 -	सामान्य गणित	
भाग 5 -	सामान्य विज्ञान	

नोट :-माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा दसवीं) स्तर का पाठ्यक्रम होगा ।

प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
परीक्षा की दिनांक	
परीक्षा का समय/शिफ्ट	
परीक्षा का शहर	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

पी.ई.बी. की वेबसाईट पर प्रदर्शित उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में निम्न प्रश्न/उत्तर निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स. क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	प्रश्न में त्रुटि का विवरण	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	प्रश्न/उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम एवं पता

.....

.....

दूरभाष क्रमांक.....

दिनांक.....

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4" x 5" सेमी फोटो
यहाँ चिपकाये
4" x 5" cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i) अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स-2 के अंदर करें, (ii) अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों ea vFlkok vaxth ds y/kj gLrk{kj eW; ugha gkx A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii) signature in capital letter or Short is not allowed (iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph and it should not be old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स-3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writing in box-3, the declaration given above)

Box-3

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. बैंक का नाम :
8. बैंक शाखा का नाम :
9. बैंक का IFS Code :
10. बैंक खाता क्रमांक :
11. परीक्षार्थी गृह जिला :
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
13. यात्रा का प्रकार :
14. यात्रा व्यय की राशि :
15. पत्र व्यवहार का पता :
16. ई-मेल :
17. फोन न. :

संलग्न :-

1. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ द्वियांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
निवास का पूर्ण पता

.....
.....
.....

प्रति,

.....
.....
.....

I gefr çek.k&i =

- 10 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के अन्तर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा-2020 के आयोजन के लिए नियम पुस्तिका तैयार की गई है।
- 20 विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 147/904/2014/आ.प्र./एक/ भोपाल, दिनांक 13/02/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक हेतु नियमानुसार आरक्षण प्रदाय किया गया है।
- 30 सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल, के आदेश क्रमांक सी 3-14/2015/3/एक भोपाल, दिनांक 06 जनवरी 2016 एवं पी.ई.बी. द्वारा जारी पत्र क्रमांक पीईबी/प-1/6562/2016 भोपाल, दिनांक 20/10/2016 के अनुसार विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर की जाने वाली बायोमेट्रिक परीक्षण के लिए पी.ई.बी. उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त प्रक्रिया संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाकर बायोमेट्रिक परीक्षण हेतु संलग्न एजेन्सी से सम्पर्क एवं भुगतान कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
- 40 पी.ई.बी. द्वारा विभागों के लिए केवल लिखित परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करेगा एवं अन्य किसी चरण यथा शारीरिक मापदण्ड, साक्षात्कार, बोनस अंक इत्यादि के लिए संबंधित विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा।

नियम पुस्तिका में दी गई किसी भी जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए विभाग स्वयं जवाबदेह होगा। तैयार नियम पुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

नियम पुस्तिका का समग्र अध्ययन उपरान्त एवं संतुष्टिपूर्ण होने पर सहमति प्रमाण पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित किया गया है।

Hkks ky] fnukd %

I R; ki udrkZ vf/kdkjh ds gLrk{kj

uke %-----

i nuke %-----

I hy %-----

ekckbŷ u- %-----

bŷ esy%-----